

1. मुख्य विधि सहायक, दि.वि.प्रा. ।
12. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), दि.वि.प्रा., को सभी अभियांत्रिकी ज़ोनों/डिविज़नों में परिपत्र के परिचालन हेतु ।
13. मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा., विकास मीनार ।
14. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. ।
15. वित्त सलाहकार (आवास), दि.वि.प्रा. ।
16. निदेशक (कार्मिक) -I ।
17. निदेशक (चिकित्सा एवं पेंशन) ।
18. सभी निदेशक/निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. ।
19. श्रीमती सुमन लता भुटानी, उप मुख्य लेखाधिकारी (मैडिकल) ।
20. सभी उप निदेशक ।
21. श्रीमती प्रेमलता, उप निदेशक (प्रणाली) को इस परिपत्र को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने + दि.वि.प्रा. सर्वर पर एस.बी.एफ. सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।
22. सहायक लेखा अधिकारी (पेंशन कक्ष)
23. सभी कल्याण निरीक्षकों/कल्याण अधिकारियों को उनके संबंधित ज़ोन में प्रचार के लिए परिपत्र की अतिरिक्त प्रति के साथ ।
24. सूचना बोर्ड, विकास सदन/विकास मीनार ।

सुरेखा  
21-10-11  
(सुरेखा)

सहायक निदेशक (कल्याण)